रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 398] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 8, 1984/आश्विन 16, 1906
No. 398] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 1984/ASVINA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत अधिसूचना 1 (1984 की संख्या 65)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1984

सा. का. नि. 712 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 65) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 अक्तूबर, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं. एफ. 2-9/83-आई.सी.]

डा. टी. एन. धर, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(Department of Education)

Notification under the Copywright (Amendment) Act, 1984 (No. 65 of 1984)

New Delhi, the 8th October, 1984

G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Copywright (Amendment) Act, 1984 (65 of 1984), the Central Government hereby appoints the 8th day of October, 1984 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. 2-9|83-IC]

DR. T. N. DHAR, Jt. Educational Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984